न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 148/2023-24

प्रशान्त कुमार -बनाम- अनिल कुमार गुप्ता वगै0

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
06.05.2024	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी डुमरी थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।	

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
जामतारा	0103	02	2349	01 डि0

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादगत भूमि के संबंध में अपना-अपना कारणपृच्छा एवं राजस्व दस्तावेजों की छाया प्रति दाखिल किया गया, जिसे अभिलेखबद्ध किया गया।

वादगत भूमि के संबंध में विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के कार्यालय पत्रांक 455 दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो कि अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी, डुमरी द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि बकास्त खाते की भूमि है। भूमि मौजा: जामतारा, खाता नं0 02, प्लॉट नं0 2349, रकवा 1.34 एकड़ जो केवाला सं. 5503 दिनांक 22.09.1951 के द्वारा रानी रखीनाथ कुंवर अललिये राजा रामनारायन सिंह के द्वारा रीझो साव को बिक्री किया गया है। द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि के मध्ये 64 डि0 भूमि जिसका चौहदी उत्तर: पुराना जी0टी0 रोड, दक्षिण प्लॉट नं0 2348, पूरब: प्लॉट नं. 2349 में पुराना ध्वस्त मकान एवं अंश रकवा, पश्चिम: प्लॉट नं0 2350, 2387 घरैया बंटवारा दिनांक 12.02.1978 के आधार पर दखल-कब्जा है। उक्त जमीन पर पूर्व में मुंसिफ न्यायालय में प्रथम पक्ष का वाद सं. 19/2003 दिनांक 30.03.2012 खारिज हुआ है। पुनः अपील सिविल जज न्यायालय गिरिडीह के वाद सं. 05/2012 दायर किया जो 11 मई 2017 में खारिज हुआ है। इस प्रकार पुनः न्यायालय S.A. No. 440/2017 में दायर मामला विचाराधीन है एवं प्रथम पक्ष तथा अन्य हिस्सेदारों के बीच बंटवारा वाद सं. 83/2015 सिविल जज गिरिडीह में विचाराधीन है। द्वितीय पक्ष बंटवारा के अनुसार दखल-कब्जा में है।

Certified Copy Issued

---- **विवेचना एवं आदेश** ----

उभय पक्षकारों के द्वारा वादगत भूमि के संबंध में अपने-अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, कारणपृच्छा एवं विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि बकास्त खाते की भूमि है, जिसका घरैया बंटवारा उभय पक्षों के बीच दिनांक 12.02.1978 को हो चुका है एवं द्वितीय पक्ष अपने हिस्से में प्राप्त भूमि पर दखल-कब्जा में है। वर्तमान में इस भूमि के संबंध में उभय पक्षों के बीच माननीय सिविल न्यायालय, गिरिडीह में बंटवारा वाद सं. 83/2015 विचाराधीन है एवं कोई आदेश निर्गत नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं विवेचनाओं के आधार मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि इस वादगत भूमि के संबंध में उभय पक्षों के बीच बंटवारा वाद माननीय सिविल न्यायालय, गिरिडीह में वाद सं. 83/2015 विचाराधीन है। अतएव वर्तमान वाद में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कोई भी विधिक आदेश पारित करना विधिसम्मत नहीं होगा।

द0प्र0सं0 की धारा 144 के उपधारा 4 के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित

06/05/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

06/05/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Certified Copy Issued

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.07.22 18:45:53 +05:30
Location: 192.168.1.8